न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस

अपील सं. 2019/00165 (165/2019) 223 आरटीएक्ट

1. रमनदीप कौर पुत्री सुखदर्शनसिह उर्फ बलजीतसिंह पत्नी श्री सर्वजीतसिह जाति जटसिख निवासी धन सिंह खना, कोटफता तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)

–अपीलाण्ट

–: बनाम :–

1. गगनदीपसिह पुत्र सुखदर्शनसिह उर्फ बलजीतसिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज0)
2. सुखदर्शनसिंह उर्फ बलजीतसिंह पुत्र श्री दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी ढोलनगर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज0)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। (राज0)

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2012 डिक्री दिनांक 18.07.2013 द्वारा उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलैक्टर संगरिया प्रकरण सं0 106/2012 बअनवानी गगनदीपसिंह बनाम सुखदर्शनसिंह उर्फ बलजीत सिंह आदि

श्री शमशेर सिंह संधू अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री खुशप्रीत सिह संधू अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1 व 2
श्री सोहनलाल सहारण रेस्पोडेण्ट सं0 3

निर्णय दिनांक –14.10.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 गगनदीप सिंह ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष एक अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया। अर्जीदावा में कथन किया कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 ही परिवार के सदस्य है। इनके पिता की चक 2 केएसडी खाता सं0 102/104 की 8.197 है. व चक 4 केएसडी खाता सं0 63/66 की 3.290 है. भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। यह भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 की जद्दी जायदाद है जिसमें उनका जन्म से ही विरासतन हक हिस्सा है। प्रतिवादी सं0 2 ने अपना हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर दिया है उसका कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज आराजी के वादी व प्रतिवादी सं0 1 खातेदार काश्तकार हैं। अर्जीदावा में वर्णितानुसार खातेदार घोषित किया जावे वादीगण का खाता अलग अलग किया जाकर रकम राज अलग अलग कायम की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब दावा पेश किया वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अर्जीदावा एवं जवाब दावा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी संगरिया ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई मनमाना, गलत, विधि विरूद्ध तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अपीलाण्टा औरत जात है तथा कोटभता तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब मे निवासी करती है जिसकी भली भांति जानकारी रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 को है। अपीलाण्टा का पता जानबूझकर गलत अंकित किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने हक व हिस्से की आराजी का कभी भी हक त्याग नहीं किया है तथा न ही अपीलाण्टा की अपना हक त्याग करने की कोई मंशा है ना ही कोई दस्तावेज हकत्याग बाबत पंजीकृत किया गया है। किसी पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा ही हकत्याग विधि अनुसार किया जाता है परन्तु ऐसा कोई भी दस्तावेज विचारणीय न्यायालय में पेश नही किया। अपीलाण्ट ने जवाब दावा सहमति से नहीं लिखा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के हस्ताक्षर कुछ खाली कागजात पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये थे कि फसल खराबी का मुआवजा प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेण्ट सं0 2 सुखदर्शनसिह उर्फ बलीजीतसिंह के परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है तथा अपीलाण्टा ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर विश्वास करते हुए हस्ताक्षर किये थे जिसका दुरूप्योग कर अपीलाण्ट के हक व हिस्सा को मारने की नियत से रेस्पोडेण्ट ने समस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली अपीलाण्टा द्वारा कभी अपना हक त्याग नहीं किया है अपीलाण्ट अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहती है इसलिए अपीलाधीन निर्णय काबिल खारिजी है। भूधारक के जवाब बिना खाता तकसीम की डिक्री पोषणीय नहीं है खासा तकसीम की डिक्री में प्राथमिक डिक्री करने के उपरान्त ही कांनूनन अन्तिम डिक्री जारी की जा सकती है परन्तु अधिनस्थ न्यायलाय ने सीधे ही अन्तिम डिक्री जारी कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्टा को ज्ञान नहीं था पटवारी हल्का से सम्पर्क कर जमाबन्दी प्राप्त की तो जमाबन्दी में रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम दर्ज आराजी जिसमें अपीलाण्ट का जन्मजात हिस्सा था वर्तमान में रेस्पोडेण्ट सं0 2 के नाम दर्ज देखकर पैरो तले जमीन खिसक गई तो अपीलाण्टा को ज्ञान हुआ। जिस पर बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत कर दी है डिले कन्डोन की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने जवाब दावा पेश किया है। इनकी तरफ से इनके अधिवक्ता उपस्थित आयें हैं जिनका वकालतनामा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अर्जीदावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करने पर अधिनस्थ

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों के आधार पर एवं अपील का निस्तारण गुणागवुण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाण्ट का धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणागवुण का प्रश्न है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 गगनदीप सिंह ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष एक अर्जीदावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीएक्ट में प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानते हुए कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायलाय की पत्रावली में अपीलाण्ट का जवाब दावा एवं उसके अधिवक्ता द्वारा उसका वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है लेकिन अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ने जवाब दावा सहमति से नहीं लिखा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाण्ट के हस्ताक्षर कुछ खाली कागजात पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करवाये थे कि फसल खराबी का मुआवजा प्राप्त करने हेतु रेस्पोडेण्ट सं0 2 सुखदर्शनसिह उर्फ बलीजीतसिंह के परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षरों की आवश्यकता है तथा अपीलाण्टा ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 पर विश्वास करते हुए हस्ताक्षर किये थे जिसका दुरूप्योग कर अपीलाण्ट के हक व हिस्सा को मारने की नियत से रेस्पोडेण्ट ने समस्त आराजी अपने नाम दर्ज करवा ली अपीलाण्टा द्वारा कभी अपना हक त्याग नहीं किया है अपीलाण्ट अपना हक व हिस्सा प्राप्त करना चाहती है। अपीलाण्ट के उक्त कथन जांच का विषय है हालांकि उसका वकालतनामा प्रस्तुत किया हुआ है मगर उसके द्वारा अन्य प्रकरण में खाली कागजों पर हस्ताक्षर करने का कथन किया है। विधि अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा हकत्याग पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा ही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ है जबकि अपीलाण्ट का हक रेस्पोडेण्ट को दे दिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर अधनीस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.07.2012 डिक्री दिनांक 18.07.2013 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आशाराम आर.ए.एस.)

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.) ★

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2019.11.26 12:45:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: